

कलकत्ता पत्रिका 1819050 दिनांक 08-10-2018

परिपत्र संख्या-स0द0/असत्यापित टी0डी0एफ0 2015-16/2018-19/1353 /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उ0प्र0,
(सचलदल अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 8 अक्टूबर, 2018

समस्त

एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,
एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0),
ज्वाइंट कमिशनर(वि0अनु0शा0),
असिस्टेंट कमिशनर, सचलदल(प्रभारी),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से किसी स्थान से उत्तर प्रदेश राज्य से होते हुए राज्य के बाहर गंतव्य के लिए जाने वाले माल सहित वाहनों के प्रभारी द्वारा आनलाईन टी0डी0एफ0-1 विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किया जाता था एवं उत्तर प्रदेश राज्य से निर्गमन करते समय ऑनलाईन टी0डी0एफ0-2 विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाता था। जिस टी0डी0एफ0-1 हेतु टी0डी0एफ0-2 अपलोड नहीं किया गया उस मामले में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-52 में निहित प्रावधानों के अनुसार यह अवधारित किया जाता है कि वाहन प्रभारी या वाहन स्वामी द्वारा ऐसे माल को उत्तर प्रदेश में बिक्री करने के लिए लाया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड किए गए ऐसे टी0डी0एफ0-1 जिसके लिए टी0डी0एफ0-2 अपलोड नहीं किया गया है, के मामले में धारा-52 के प्रावधानों को अवधारित करते हुए अधिनियम की धारा-26 के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में कर निर्धारण किए जाने का प्रावधान है। ऐसे प्रत्येक मामलों में धारा-28 की उपधारा-(9) में कर निर्धारण तथा धारा-54(1) की तालिका के क्रमांक-15 के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है। मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या-1415112 दिनांक 09.01.2015 से असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रदेश के घोषित प्रवेश स्थलों से सम्बन्धित वाणिज्य कर मण्डल/सम्भाग/जोन में कार्यरत सचलदल इकाइयों के असिस्टेंट कमिशनर (प्रभारी) सचलदल को पदनाम से कर निर्धारण अधिकारी नामित करते हुए जोनल एडीशनल कमिशनर को जोन स्तर पर लम्बितवादों के हस्तान्तरण हेतु प्राधिकृत किया गया है।

3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों से सम्बन्धितवादों को निस्तारण हेतु जोनल एडीशनल कमिशनर द्वारा जोन में कार्यरत सचलदल इकाई के प्रभारी अधिकारियों को समानुपातिक रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया होगा। ऐसे नामित कर निर्धारण अधिकारियों एवं उनको हस्तान्तरितवादों की सूचना इस परिपत्र के संलग्नक-1 में निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.10.2018 तक सचलदल अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

4. असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों से सम्बन्धितवादों में कर निर्धारण/अर्थदण्ड की नियमानुसार कार्यवाही के फलस्वरूप वसूली प्रमाण पत्र जारी होने पर माह दिसम्बर 2018 में समाप्त होने वाले त्रैमास से नियमित त्रैमासिक रूप से विवरण इस परिपत्र के संलग्नक-2 में निर्धारित प्रारूप में Excel Sheet में अंग्रेजी भाषा में साफ्ट कॉपी में सचलदल अनुभाग की ई-मेल एड्रेस ctcphqlu-up@nic.in पर प्रत्येक त्रैमास समाप्त होने के 10 दिवस के अन्दर जोन के एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) द्वारा समेकित रूप से प्रेषित किया जाएगा।

5. असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही का विवरण इस परिपत्र के संलग्नक-3 में निर्धारित प्रारूप में नामित कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) के माध्यम से सचलदल अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा। यदि असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्र से सम्बन्धित कोई वाद काल बाधित होगा तब सम्बन्धित नामित कर निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ उसके नियन्त्रक ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) भी उत्तरदायी होंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक:यथोपरि।

(कामिनी चौहान रतन)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-1

प्रारूप-क

वित्तीय वर्ष 2015-16 के असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों से सम्बन्धित वादों के हस्तान्तरण का विवरण

क्र०सं०	जोन	नामित अधिकारी का नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षरित कर निर्धारण वादों की संख्या	हस्ताक्षरित अर्थदण्ड के वादों की संख्या	योग (4+5)
1	2	3	4	5	6

संलग्नक-2

प्रारूप-ख

(त्रैमासिक विवरण)

Details of arrears created against owner of vehicles related to failed TDF during F.Y 2015-16

Year 2018-19

Quarter

(Amount in Rupees)

S.N.	Zone	Name and designation of nominated Officer	Failed Number	TDF	Outstanding Amount		R.C Number	R.C Date
					Tax	Penalty		
1	2	3	4		5	6	7	8

संलग्नक-3

प्रारूप-ग

(मासिक विवरण)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के असत्यापित पारगमन प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में कर निर्धारण/अर्थदण्ड की कार्यवाही का विवरण

वर्ष 2018-19

माह...

(धनराशि रु० लाख में)

क्र०सं०	जोन	नामित अधिकारी का नाम एवं पदनाम	माह के प्रारम्भ में निस्तारण हेतु उपलब्ध कुल वादों की संख्या	माह में निस्तारित कुल वादों की संख्या	सृजित मांग			अवशेष वादों की संख्या
					कर	अर्थदण्ड	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9